RAJASTHAN RENT CONTROL ACT, 2001
(Act No. 01 of 2003)

RAJASTHAN COURT FEES & SUITS VALUATION ACT, 1961
(Act No. 23 of 1961)

RAJASTHAN EXCISE ACT 1950
(Act No. 02 of 1950)

Sample Preview

DIGLOT EDITION
द्विभाषी संस्करण

By

Tansukh Paliwal
LL.M., CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws

Linking Publication
Jodhpur, Rajasthan

Click Here to Buy Linking Publications

Preface

Hello & नमस्कार,

LINKING BARE ACTS are not merely Bare Act of the Text approved by Legislature rather it envisage my personal Experience as Judiciary Exam Educator of more than a decade wherein I found the style of Inter Section Linking, Inter Chapter Linking and Inter Acts Linking so effective that the reader can gain comprehensive command over any particular topic or concept with help of it. Further, such things also help in easy mediation while making revision.

"जो याद (memorize) नही होता उसे, उससे याद करो जो याद हो चूका है" - this technique is output of Linking style.

Presently, Law Exam specially concentrate to check command of student over Legislative Text (i.e. Bare Act), accordingly they asked questions which directly or indirectly Linked with Bare Act only. While teaching various laws, I found that Linking techniques is easy for student to learn multiple sections together, so I have included such technique in LINKING BARE ACTS.

These Linking Bare Acts of ***RAJASTHAN RENT CONTROL ACT 2001, RAJASTHAN COURT FEES & SUITS VALUATION ACT 1961, RAJASTHAN EXCISE ACT 1950,*** includes regular features of any Linking Bare Acts, so I have provided various comparative table also which will help to understand the changes easily in new laws. it's my firm belief, these LINKING BARE ACT will certainly change the way of reading Bare Act. Further, spacious margin, Bracket Method of Proviso and Explanation etc will make the study more convenient.

- **Tansukh Paliwal**
Founder of Linking Laws

Sample Preview

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Disclaimer
No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

Click Here to Buy Linking Publications

INDEX		
S.No.	**TOPIC**	***Page No.***
1.	**Chapter wise Index (Rajasthan Local Laws)**	**i-ii**
2.	**Legal Disclaimer**	**iii**
3.	**RAJASTHAN LOCAL LAWS BARE ACT**	**A-D**
I.	**RAJASTHAN RENT CONTROL ACT, 2001**	***A 1 - A 61***
II.	**RAJASTHAN COURT FEES & SUITS VALUATION ACT, 1961**	***B 1 - B 59***
III.	**RAJASTHAN EXCISE ACT 1950**	***C 1 - C 82***
4.	**QR Code** for **Landmark Judgments (Year wise & Subject wise)**	***D 1 - D 2***

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

RAJASTHAN RENT CONTROL ACT 2001			
S.R.	**TOPIC**		***Page***
1.	**Sections Page Number**		***A1 – A 3***
2.	**RRCA, 2001 Range (Chapter Wise)**	**Sections**	***A 4-51***
I	Preliminary / प्रारम्भिक	*1-5*	*A 4 - A 9*
II	Revision of Rent / किराये का पुनरीक्षण	*6-7*	*A 10 - A 11*
III	Tenancy / किरायेदारी	*8-10*	*A 12 - A 17*
IV	Restoration of Possession of Illegally Evicted Tenant and Procedure thereof / अवैध रूप से बेदखल किये गये किरायेदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन और उसकी प्रक्रिया	*11-12*	*A 18 - A 19*
V	Constitution of Tribunals, Procedure for Revision of Rent and Eviction, Appeal and Execution / अधिकरण का गठन, किराये के पुनरीक्षण और बेदखली की प्रक्रिया, अपील और निष्पादन	*13-22*	*A 20 - A 33*
VA	Appointment of Rent Authority, Tenancy Agreements and Period of Tenancy / किराया प्राधिकारी की नियुक्ति, किरायेदारी करार और किरायेदारी की कालावधि	*22A-22C*	*A 34 - A 38*
VB	Revision of Rent in Certain Circumstances, Security Deposit, Depositing of Rent in Certain Circumstances, etc. / कतिपय परिस्थितियों में किराये का पुनरीक्षण, कतिपय परिस्थितियों में प्रतिभूति निक्षेप, किराये को जमा कराना, इत्यादि	*22D-22G*	*A 37 - A 39*
VI	Amenities / सुख-सुविधाएं	*23-24A*	*A 40 - A 41*
VII	Miscellaneous /प्रकीर्ण	*25-32*	*A 42 - A 47*
-	Schedule	*A-D*	*A 48 - A 51*
3.	**Practice MCQs**		*A 52 - A 61*

RAJASTHAN COURT FEES AND SUITS VALUATION ACT, 1961			
S.No.	**TOPIC**		***Page***
1.	**Sections wise Page Number**		***B 1 – B 5***
2.	**Rajasthan Court Fees & Suits Valuation Act, 1961 (Chapter Wise)**	***Sections***	***B 6 – B 56***
I	Preliminary / प्रारंभिक	*1-3*	*B 6 – B 7*
II	Liability to Pay Fee / शुल्क भुगतान का दायित्व	*4-9*	*B 10 – B 11*
III	Determination of Fee / शुल्क का निर्धारण	*10-19*	*B 12 – B 17*
IV	Computation of Fee / शुल्क की संगणना	*20-47*	*B 18 – B 35*
V	Valuation of Suits / वादों का मूल्यांकन	*48-49*	*B 36 – B 37*
VI	Probates, Letters of Administration and Certificates of Administration/ प्रोबेट, प्रशासन-पत्र और प्रशासन प्रमाण-पत्र	*50-60*	*B 38 – B 47*
VII	Refunds and Remissions / धन वापसी और परिहार	*61-65B*	*B 48 – B 51*
VII	Miscellaneous / विविध	*66-74*	*B 52 – B 56*
3.	**Practice MCQs**		*B 57 – B 59*

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

RAJASTHAN EXCISE ACT 1950

S.R.	TOPIC		*Page*
1.	**Sections Page Number**		***C 1 – C 5***
2.	**Raj. Excise Act 1950 Range (Chapter Wise)**	***Sections***	***C 6 – C 72***
I	Preliminary / प्रारम्भिक	1-7	*C 6 – C 11*
II	Control and Establishment / नियन्त्रण और स्थापन	8-10A	*C 12 – C 15*
III	Import, Export and Transport / आयात, निर्यात और परिवहन	11-15	*C 16 – C 17*
IV	Manufacture, Possession and Sale / विनिर्माण, कब्जा और विक्रय	16-27	*C 18 – C 23*
V	Duties and Fees / शुल्क, फीस और अधिभार	28-30AA	*C 24 – C 27*
VI	Licences, Permits and Passes / अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा-पत्र और पास	31-38	*C 28 – C 31*
VII	General Provisions / साधारण उपबन्ध	39 – 42	*C 32 – C 39*
VIII	Powers and Duties of Officers/ अधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य	43-53	*C 40 – C 47*
IX	Offences and Penalties / अपराध और शास्तियां	54-70	*C 48 – C 69*
X	Miscellaneous / विविध	71-75	*C 70 - C 71*
-	Schedule	I-II	*C 72*
3.	**Practice MCQs**		*C 73 - C 82*

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

Legal Disclaimer

All efforts have been made to avoid any kind of typing or other kind of error or omission, though It is humbly requested to all readers that in case of doubt kindly prefer official text of the legislation as passed by Parliament. By **Scanning following QR code** You may have official text of parliament regarding ***RAJASTHAN RENT CONTROL ACT 2001, RAJASTHAN COURT FEES & SUITS VALUATION ACT 1961, RAJASTHAN EXCISE ACT 1950***:-

किसी भी प्रकार की टाइपिंग या अन्य प्रकार की त्रुटि या चूक से बचने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, हालांकि सभी पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि संदेह की स्थिति में कृपया संसद द्वारा पारित विधि के आधिकारिक शब्दों को प्राथमिकता दें। **निम्नलिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके** आप **राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001, राजस्थान न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961, राजस्थान उत्पाद शुल्क अधिनियम 1950**, के संबंध में संसद का आधिकारिक पाठ प्राप्त कर सकते हैं: -

Source: *https://home.rajasthan.gov.in*

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

THE
RAJASTHAN RENT CONTROL ACT, 2001

(Act No. 01 of 2003)

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001

(2003 का अधिनियम संख्यांक 01)

[Enforcement Date: 25 February, 2003]

Sample Preview

DIGLOT EDITION
द्विभाषी संस्करण

Click Here to Buy Linking Publications

THE RAJASTHAN RENT CONTROL ACT, 2001

ARRANGEMENT OF SECTIONS / धाराओं का क्रम

____

Sec. No.	Title	Page No.
	CHAPTER I	
	Preliminary / प्रारंभिक	
1.	Short Title, extent and commencement / संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ	A-4
2.	Definitions / परिभाषाएं	A-4-6
3.	Chapter II and III not to apply to certain premises and tenancies अध्याय 2 और 3 का कतिपय परिसरों और किरायेदारियों को लागू न होना	A-6-8
4.	Rent to be as agreed / किराये का तय किये गये रूप में होना	A-8
5.	Payment and remittance of rent by tenant किरायेदार द्वारा किराये का संदाय और विप्रेषण	A-8
	Chapter II / अध्याय 2	
	Revision of Rent / किराये का पुनरीक्षण	
6.	Revision of rent in respect of existing tenancies/ विद्यमान किरायेदारियों के सम्बन्ध में किराये का पुनरीक्षण.	A-10
7.	Revision of rent in respect of new tenancies/ नयी किरायेदारियों के संबंध में किराये का पुनरीक्षण	A-10
	Chapter III / अध्याय 3	
	Tenancy / किरायेदारी	
8.	Limited period tenancy / सीमित कालावधि की किरायेदारी	A-12
9.	Eviction of tenants / किरायेदारों की बेदखली	A-12,14
10.	Right of landlord to recover immediate possession in certain cases / कतिपय मामलों में तुरन्त कब्जा पुन: प्राप्त करने का भू-स्वामी का अधिकार	A-14,16
	Chapter IV / अध्याय 4	
	Restoration of Possession of Illegally Evicted Tenant and Procedure thereof	
	अवैध रूप से बेदखल किये गये किरायेदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन और उसकी प्रक्रिया	
11.	Restoration of possession of illegally dispossessed tenant / अवैध रूप से बेकब्जाकृत किरायेदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन.	A-18
12.	Procedure for recovery of possession / कब्जे की पनः प्रासि की प्रक्रिया.	A-18
	Chapter V / अध्याय 5	
	Constitution of Tribunals, Procedure for Revision of Rent and Eviction, Appeal and Execution	
	अधिकरण का गठन, किराये के पुनरीक्षण और बेदखली की प्रक्रिया, अपील और निष्पादन	
13.	Constitution of Rent Tribunal / किराया अधिकरण का गठन	A-20
14.	Procedure for revision of rent / किराये के पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया	A-20
15.	Procedure for eviction of tenant किरायेदार की बेदखली के लिए प्रक्रिया	A-20-22
16.	Procedure for recovery of immediate possession/तुरन्त कब्जे की पुन: प्रासि की प्रक्रिया	A-22-24
17.	Fixing of date for appearance of parties before Appellate Rent Tribunal and supply of copies of final order / अपील किराया अधिकरण के समक्ष पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करना और अन्तिम आदेश की प्रतियों का दिया जाना	A-24
18.	Jurisdiction of Rent Tribunal / किराया अधिकरण की अधिकारिता	A-24
19.	Appellate Rent Tribunal, Appeals and limitation thereof / अपील किराया अधिकरण, अपीलें और उनकी परिसीमा	A-26-28

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

THE RAJASTHAN RENT CONTROL ACT, 2001
(Act No. 01 of 2003)

[Date: 25 February, 2003]

An act to provide for control of eviction from, letting of, and rents for, certain premises in the State of Rajasthan and matters incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows: -

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.

(1) This Act may be called the Rajasthan Rent control Act, 2001.

(2) It shall extend in first instance to such of the municipal areas which are comprising the District Headquarters in the State and later on to such of the other municipal areas as the State Government may, by notification in the official Gazette, specify from time to time.

(3) It shall come into force with effect from such date I as the State Government may/ by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.

In this Act, unless subject or context otherwise requires, -

(a) "**amenities**" includes supply of water and electricity, passages, staircase, natural light, lavatories, lifts, conservancy, sanitary services, telephone services, T. V. Cable services or the like;

(b) "**Appellate Rent Tribunal**" means Appellate Rent Tribunal constituted under section 19;

(c) "**landlord**" means any person for the time being is receiving or is entitled to receive the rent of any premises, whether on his own account or as an agent, trustee, guardian or receiver for any other person, or who would so receive or be entitled to receive the rent, if the premises were let to a tenant;

(d) "**lease**" means a lease as defined under the Transfer of Property Act, 1882

(e) "**Municipal Area**" means the municipal area as defined under the Rajasthan municipalities Act, 2009

(f) "**Premises**" means-

(a) any land not being used for agricultural purposes; and

(b) any building or part of a building (other than a farm building) let or intended to be let for use as a residence or for commercial use or for any other purpose, including, -

(i) the gardens, grounds, godowns, garages and out-houses, if any, appurtenant to such building or part,

(ii) any furniture supplied by the landlord for use in such building or part,

(iii) any fittings affixed to, and amenities provided in, such building or part for the more beneficial enjoyment thereof, and

(iv) any land appurtenant to and let with any such building or part, but does not include a room or other accommodation in a hotel, dharamshala, inn, sarai, lodging house, boarding house or hostel;

Explanation:- In absence of a contract to the contrary, the top of the roof shall not form part of the premises let out to a tenant;

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001
(2003 का अधिनियम संख्यांक 1)

[दिनांक 25 फरवरी, 2003]

राजस्थान राज्य में के कतिपय परिसरों से बेदखल करने, उनको किराये पर देने तथा उनके किराये को नियंत्रित करने और उनसे आनुषंगिक विषयों के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य बनाता है

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 है ।

(2) इसका प्रसार प्रथमत: ऐसे नगरपालिक क्षेत्रों में, जिनमें राज्य में के जिला मुख्यालय हैं और तत्पश्चात् ऐसे अन्य नगरपालिक क्षेत्रों में होगा जिन्हें राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

(3) यह ऐसी तारीख' से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं.

इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "**सुख-सुविधाएं**" के अन्तर्गत, जल और विद्युत का प्रदाय, आवागमन के रास्ते, सीढ़ियाँ, प्राकृतिक प्रकाश, शौचालय, लिफ्ट, सफाई, स्वच्छता सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, टी.वी. केबल सेवाएं या ऐसी ही सेवाएं हैं,

(ख) "**अपील किराया अधिकरण**" से धारा 19 के अधीन गठित अपील किराया अधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "**भू-स्वामी**" से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी परिसर का किराया, चाहे अपने लेखे या किसी अन्य व्यक्ति के अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में, तत्समय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है या जो परिसर के किसी किरायेदार को किराये पर दिये जाने की दशा में, उसका किराया इस प्रकार प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा;

(घ) "**पट्टा**" से संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के अधीन यथापरिभाषित पट्टा अभिप्रेत है;

(ङ) "**नगरपालिक क्षेत्र**" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अधीन यथापरिभाषित नगरपालिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(च) "**परिसर**" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(क) ऐसी कोई भूमि जो कृषि-प्रयोजनों के लिये उपयोग में नहीं ली जाती है; और

(ख) (फार्म भवन से भिन्न) ऐसा कोई भवन या भवन का भाग जो निवास के रूप में उपयोग के लिए या वाणिज्यिक उपयोग या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किराये पर दिया गया हो या किराये पर दिये जाने के लिए आशयित हो, और उसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं:

(i) ऐसे भवन या भाग से अनुलग्न उद्यान, भूमि, गोदाम, गैराज तथा उपगृह, यदि कोई हों,

(ii) ऐसे भवन या भाग में उपयोग के लिये भू-स्वामी द्वारा दिया गया कोई फर्नीचर,

(iii) ऐसे भवन या भाग में उसके अधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए उससे लगी हुई कोई फिटिंग और उसमें उपलब्ध करवायी गई सुख-सुविधाएं, और

(iv) ऐसे किसी भवन या भारा से अनुलग्न तथा उसके साथ किराये पर दी हुई भूमि, किन्तु उसमें किसी होटल, धर्मशाला, पथिकाश्रम, सराय, बासा, बोर्डिंग हाऊस या छात्रावास में कोई कमरा अथवा अन्य वास सुविधा सम्मिलित नहीं है;

{ **स्पष्टीकरण**. - किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में छत का ऊपरी भाग किसी किरायेदार को किराये पर दिये गये परिसर का भाग नहीं होगा; }

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

(fa) "**Rent Authority**" means the officer appointed under Sec. 22-A;

(g) "**Rent Tribunal**" means a Rent Tribunal constituted under section 13;

(h) "**senior citizen**" means a citizen of India who has attained the age of sixty five years or more;

(i) "**tenant**" means-

(i) the person by whom or on whose account or behalf rent is, or but for a contract express or implied, would be payable for any premises to his landlord including the person who is continuing in its possession after the termination of his tenancy otherwise than by an order or decree for eviction passed under the provisions of this Act; and

(ii) in the event of death of the person referred to in sub-clause (i), -

(a) in case of premises let out for residential purposes, his surviving spouse, son, daughter, mother and father who had been ordinarily residing with him in such premises as member of his family upto his death;

(b) in case of premises let out for commercial or business purposes, his surviving spouse, son, daughter, mother and father who had been ordinarily carrying on business with him in such premises as member of his family upto his death; and

(j) "Tribunal" means an Appellate Rent Tribunal or a Rent Tribunal, as the case may be.

3. Chapter II and III not to apply to certain premises and tenancies.

Nothing Contained in Chapter II and III of this Act shall apply, -

(a) rupees seven thousand or more in the case of the premises situated in the municipal area of Jaipur city;

(b) rupees four thousand or more, in the case of premises let out at places situated in the municipal areas comprising the Divisional Headquarters Jodhpur, Ajmer, Kota, Udaipur and Bikaner;

(c) rupees two thousand or more, in case of premises let out at places situated in other municipal areas. to which this Act extends for the time being;

(i) to any premises belonging to or let out by the Central Government or the State Government or a local authority;

(ii) to any premises belonging to or let out by anybody corporate constituted by a Central Act or a Rajasthan Act;

(iii) to any premises belonging to a Government company as defined under section 617 of the Companies Act, 1956;

(iv) to any premises belonging to the Devasthan Department of the State, which are managed and controlled by the state Government or to any property of a Wakf, registered under the Wakf Act,1995;

(v) to any premises belonging to such religious, charitable or educational trust or class of such trusts as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette;

(vi) to any premises belonging to or vested in a University established by any law for the time being in force;

(vii) to any premises let to banks, or any Public Sector Undertakings or any Corporation established by or under any Central or State Act, or multinational companies, and private limited companies or public limited companies having a paid up share capital of rupees one crore or more;

Sample Preview
Click Here to Buy Linking Publications

(छक) "**किराया प्राधिकरण**" का अर्थ धारा 22-ए के तहत नियुक्त अधिकारी है;

(छ) "**किराया अधिकरण**" से धारा 13 के अधीन गठित किराया अधिकरण अभिप्रेत है;

(ज) "**वरिष्ठ नागरिक**" से भारत का कोई ऐसा नागरिक अभिप्रेत है जिसने पैंसठ वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो;

(झ) "**किरायेदार**" से अभिप्रेत है: -

(i) वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके लेखे या; जिसकी ओर से किसी परिसर के लिए उसके भू-स्वामी को किराया अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के न होने पर संदेय है या संदेय होता और उसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अपनी किरायेदारी की समाप्ति के पश्चात् भी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पारित बेदखली के किसी आदेश या डिक्री से अन्यथा कब्जा बनाये रखता हो; और

(ii) उप-खण्ड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में,

(क) निवासीय प्रयोजनों के लिए किराये पर दिये गये परिसर की दशा में, उसका उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता-पिता जो उसकी मृत्यु तक ऐसे परिसर में उसके कुटुम्ब के सदस्य के रूप में साधारणतया निवास कर रहा था;

(ख) वाणिज्यिक या कारबार संबंधी प्रयोजनों के लिए किराये पर दिये गये परिसर की दशा में, उसका उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता-पिता जो उसकी मृत्यु तक ऐसे परिसर में उसके कुटुम्ब के सदस्य के रूप में साधारणतया कारबार कर रहा था; और

(ञ) "**अधिकरण**" से अपील किराया अधिकरण या, यथास्थिति, किराया अधिकरण अभिप्रेत है ।

3. अध्याय 2 और 3 का कतिपय परिसरों और किरायेदारी को लागू न होना.-

इस अधिनियम के अध्याय 2 और 3 में अन्तर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी,-

(क) जयपुर शहर के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित परिसर की दशा में सात हजार रुपये या उससे अधिक;

(ख) संभागीय मुख्यालय जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर को समाविष्ट करने वाले नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित स्थानों पर किराये पर दिए गए परिसरों की दशा में चार हजार रुपए या अधिक;

(ग) अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित स्थानों पर किराये पर दिए गए परिसरों की दशा में दो हजार रुपए या अधिक, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार तत्समय है;

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के या उनके द्वारा किराये पर दिये गये परिसर;

(ii) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राजस्थान अधिनियम द्वारा गठित किसी निगमित निकाय के कोई परिसर या उसके द्वारा किराये पर दिये गये किन्हीं परिसरों को;

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कम्पनी के किन्हीं परिसरों को;

(iv) राज्य के देवस्थान विभाग के किन्हीं परिसरों को जिनका प्रबंधन और नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, या वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत किसी भी वक्फ की किसी भी संपत्ति को;

(v) किन्हीं ऐसे परिसरों को, जो किसी ऐसे धार्मिक, पूर्त या शैक्षणिक न्यास के या ऐसे न्यासों के वर्ग के हो, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाये;

(vi) किन्हीं भी ऐसे परिसरों को, जो तत्समय प्रवृत किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के हो या उसमें निहित हो;

(vii) किन्हीं भी ऐसे परिसरों को जो बैंकों, या किसी भी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित किसी भी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी भी निगम को, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की समादत्त शेयर पूंजी वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां को, किराये पर दिये गये हों;

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

RAJASTHAN COURT FEES AND SUITS VALUATION ACT, 1961

(Act No. 23 of 1961)

राजस्थान न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961

(1961 का अधिनियम संख्यांक 23)

[President Assent Date: 26th August, 1961.]

DIGLOT EDITION
द्विभाषी संस्करण

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

RAJASTHAN COURT FEES AND SUITS VALUATION ACT, 1961

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sec. No.	Title	Page No.
	CHAPTER I	
	Preliminary / प्रारंभिक	
1.	Short title, extent and commencement / संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	*B-6*
2.	Application of Act / अधिनियम का अनुप्रयोग	*B-6*
3.	Definitions / परिभाषाएं	*B-6*
	CHAPTER II	
	Liability to Pay Fee/ शुल्क भुगतान का दायित्व	
4.	Levy of fee in Courts and Public offices / न्यायालयों और सार्वजनिक कार्यालयों में शुल्क लगाना	*B*-8
5.	Fees on documents inadvertently received / अनजाने में प्राप्त दस्तावेजों पर शुल्क	*B*-8
6.	Multifarious suits / बहुविध वाद	*B*-8
7.	Determination of market value / बाजार मूल्य का निर्धारण	*B*-10
8.	Set off or counter claim / मुजरा या प्रतिदावा	*B*-10
9.	Documents falling under two or more descriptions दो या अधिक विवरणों के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज़	*B*-10
	CHAPTER III	
	Determination of Fee / शुल्क का निर्धारण	
10.	Statement of particulars of subject-matter of suit and plaintiff's valuation thereof / वाद की विषय-वस्तु के विवरण और वादी द्वारा उसका मूल्यांकन।	*B*-12
11.	Decision as to proper fee / उचित शुल्क के संबंध में निर्णय।	*B*-12,14
12.	Additional fee on issues framed / तैयार किये गये मुद्दों पर अतिरिक्त शुल्क	*B*-14
13.	Relinquishment of portion of claim / दावे के हिस्से का त्याग	*B*-14
14.	Fee payable on written statement / लिखित कथन पर देय शुल्क	*B*-14
15.	Fee payable on appeals etc / अपील आदि पर देय शुल्क	*B*-16
16.	Fee payable on petitions, applications etc / याचिकाओं, आवेदनों आदि पर देय शुल्क	*B*-16
17.	Court-fee Examiners / न्यायालय-शुल्क परीक्षक	*B*-16
18.	Inquiry and commission / जांच और आयोग	*B*-16
19.	Notice to the State Government / राज्य सरकार को सूचना	*B*-16
	CHAPTER IV	
	Computation of Fee / शुल्क की संगणना	
20.	Fee how reckoned / शुल्क कैसे गिना जाता है	*B*-18
21.	Suits for money or damages / धन या नुकसानी के लिए वाद	*B*-18
22.	Suits for maintenance and annuities / भरण-पोषण और वार्षिकी के लिए वाद	*B*-18
23.	Suits for movable property / चल संपत्ति के लिए वाद	*B*-18
24.	Suits for declaration / घोषणा के लिए वाद	*B*-20
25.	Adoption suits / दत्तक ग्रहण मुकदमे	*B*-20
26.	Suits for injunction / व्यादेश के लिए वाद	*B*-22
27.	Suits relating to trust property / न्यास संपत्ति से संबंधित वाद	*B*-22
28.	Suits for possession under the Specific Relief Act, 1877 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 के अधीन कब्जे के लिए वाद।	*B*-22
29.	Suits for possession not otherwise provided for अन्यथा उपबंधित न किए गए कब्जे के लिए वाद।	*B*-22

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

RAJASTHAN COURT FEES AND SUITS VALUATION ACT, 1961
(Act No. 23 of 1961)

[Received the assent of the President on the 26th day of August, 1961]

An Act to amend and consolidate the law relating to court-fees and valuation of suits in the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Twelfth Year of the Republic of India as follows: -

CHAPTER I
Preliminary

1. Short title, extent and commencement

(1) This Act may be called the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Application of Act

(1) The provisions of this Act shall not apply to documents presented or to be presented before an officer serving under the Central Government.

(2) Where any other law contains provisions relating to the levy of fee in respect of proceedings under such other law, the provisions of this Act relating to the levy of fee in respect of such proceedings shall apply subject to the said provisions of such other law.

3. Definitions

In this Act, unless the subject or context otherwise requires, -

(i) "**appeal**" includes a cross objection;

(ii) "**Court**" means any Civil, Revenue or Criminal Court and includes a Tribunal or other authority having jurisdiction under any special or local law to decide questions affecting the rights of parties;

(iii) "**prescribed**" means prescribed by rules made under this Act; and

(iv) expressions used and not defined in this Act or in the Rajasthan General Clauses Act, 1955, but defined in the Code of Civil Procedure, 1908, shall have the meanings respectively assigned to them in the said Code.

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961
(1961 का अधिनियम सं. 23)
[26 अगस्त, 1961 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में न्यायालय फीस तथा वादों के मूल्यांकन से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाएगा:-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य तक है।

(3) यह उस तारीख को लागू होगा जिसे राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी।

2. अधिनियम का अनुप्रयोग

(1) इस अधिनियम के प्रावधान केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवारत किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों पर लागू नहीं होंगे।

(2) जहां किसी अन्य विधि में ऐसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में फीस के उद्ग्रहण से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, वहां ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में फीस के उद्ग्रहण से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध ऐसी अन्य विधि के उक्त उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे।

3. परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) "**अपील**" में प्रति आपत्ति शामिल है;

(ii) "**न्यायालय**" का तात्पर्य किसी सिविल, राजस्व या आपराधिक न्यायालय से है और इसमें न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण शामिल है, जिसके पास पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर निर्णय करने के लिए किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत क्षेत्राधिकार है;

(iii) "**विहित**" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(iv) वे अभिव्यक्तियाँ जो इस अधिनियम या राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उक्त संहिता में हैं।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

THE
RAJASTHAN EXCISE ACT 1950

(Act No. 02 of 1950)

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

(1950 का अधिनियम संख्यांक 02)

[Enactment Date: 20th of March, 1950]

[Enforcement Date: 01 July, 1950]

Sample Preview

DIGLOT EDITION
द्विभाषी संस्करण

Click Here to Buy Linking Publications

THE RAJASTHAN EXCISE ACT 1950

ARRANGEMENT OF SECTIONS / धाराओं का क्रम

———————————

Sec. No.	Title	Page No.
	CHAPTER I	
	Preliminary / प्रारम्भिक	
1.	Short title, extent and commencement. / संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ	C-6
2.	Omitted. / लोपित	C-6
3.	Definitions. / परिभाषाएँ	C-6,10
4.	Power of State Government to declare what is to be deemed "liquor". / राज्य सरकार की यह घोषित करने की शक्ति कि "शराब " किसे समझा जाय	C-10
5.	Power of State Government to declare limit of sale by retail. / राज्य सरकार की खुदरा विक्रय की सीमा घोषित करने की शक्ति	C-10
6.	Possession by wife, clerk or servant. / पत्नी, लिपिक अथवा सेवक का कब्जा	C-10
7.	Saving of enactment relating to customs. सीमा शुल्क सम्बन्धी अधिनियमिति की व्यावृति	C-10
	CHAPTER II	
	Control and Establishment / नियन्त्रण और स्थापन	
8.	Control of the Excise Department. / आबकारी विभाग का नियन्त्रण	C-12
9.	Appointment of Commissioner and Excise Officers. / आयुक्त और आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति	C-12
9-A.	Appeals and Revision. / अपीलें और पुनरीक्षण	C-12
9-B.	Bar of jurisdiction of Civil Courts. / सिविल न्यायलयों की अधिकारिता का वर्जन	C-14
10.	Appointment of officers and conferring powers. / अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रदान	C-14
10A.	Establishment of check-post and inspection of goods while in movement. / जांच चौकी की स्थापना और संचलन में के माल का निरीक्षण	C-14
	CHAPTER III	
	Import, Export and Transport / आयात, निर्यात और परिवहन	
11.	Import of excisable article. / आबकारी योग्य वस्तु का आयात	C-16
12.	Export and Transport of excisable article. / आबकारी योग्य वस्तु का निर्यात और परिवहन	C-16
13.	Power of State Government to prohibit, import, export and transport of excisable article. / आबकारी योग्य वस्तु का आयात, निर्यात और परिवहन का प्रतिषेध करने की राज्य सरकार की शक्ति	C-16
14.	Passes necessary for import export and transport. / आयात, निर्यात और परिवहन के लिए पास का आवश्यक होना	C-16
15.	Grant of passes for import, export and transport. / आयात, निर्यात और परिवहन के लिए पास दिया जाना	C-16
	CHAPTER IV	
	Manufacture, Possession and Sale / विनिर्माण, कब्जा और विक्रय	
16.	Manufacture of excisable article prohibited except under the provisions of this Act. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन के सिवाय आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण का प्रतिषेध	C-18

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950

(Act No. 2 of 1950)

[20th of March, 1950]

AN Act to enact for Rajasthan a Uniform Law relating to the import, transport, manufacture, sale and possession of intoxicating liquor and of intoxicating drugs.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law in Rajasthan relating to the import, export, transport, manufacture, sale and possession of intoxicating liquor and of intoxicating drugs, and to provide for certain other matters hereinafter appearing.

It is hereby enacted as follows-

CHAPTER I
Preliminary

1. Short title, extent and commencement.

(1) This Act may be called The Rajasthan Excise Act, 1950.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in that behalf.

2. Omitted.

3. Definitions.

In this Act unless there is something repugnant in the subject or context-

(1) "**Beer**" includes ale, stout, porter and all other fermented liquors made from malt;

(2) "**Abu area**" means the territory comprised in the Abu Road taluka of Banaskantha district in the State of Bombay as it existed immediately before the first day of November, 1956;

(3) "**Denatured**" means mixed with such substance and by such process as may be prescribed under Section 42 in order to render any spirit unfit for human consumption whether as a beverage or as a medicine or in any other way whatsoever;

(3-A) "**Denatured spirituous preparation**" means any preparation of denatured spirit or alcohol and includes liquors, French polish and varnish prepared out of such spirit or alcohol;

(4) "**Excisable Article**" means and includes-

(i) Spirit, fermented liquor or any alcoholic liquor for human consumption or denatured spirit or denatured spirituous preparation, or

(ii) Any intoxicating drug, or

(iii) Stills or other appliances for distillation, or

(iv) Fermented wash or other material for distillation, or

(v) Any other article which the State Government may, from time to time declare to be an excisable article for the purposes of this Act.

(vi) Heritage liquor.

(5) "**Excise Commissioner**" means the Excise Commissioner appointed by the State Government under this Act.

(6) "**Excise Duty**" means any duty of excise imposed by or under this Act on excisable articles manufactured or produced in those parts of the State of Rajasthan to which this Act extends;

Sample Preview
Click Here to Buy Linking Publications

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950
1950 का अधिनियम संख्यांक 2

[20 मार्च, 1950]

राजस्थान के लिए नशीली शराब एवं मादक औषधि- द्रव्यों के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, विक्रय एवं कब्जे के सम्बन्ध में विधि का समेकन और संशोधन करना और इसमें इसके पश्चात् दिए गए कतिपय अन्य मामलों के लिए उपबन्ध करना समीचीन है।

यतः यह समीचीन है कि राजस्थान में नशीली शराब और नशीले पदार्थों के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, बिक्री और कब्जे से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित किया जाए और इसके बाद आने वाले कुछ अन्य मामलों का उपबंध किया जाए।

अतः इसके द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैं. -

अध्याय I
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 है ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज - पत्र में अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में नियत करे।

2. लोपित

3. परिभाषाएँ.

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, इस अधिनियम में—

(1) "**बीयर**" में एल, स्टाउट, पोर्टर और माल्ट से बनी अन्य समस्त खमीरित शराबें सम्मिलित हैं,

(2) "**आबू क्षेत्र**" से बनासकांठा जिले के आबू रोड तालुका में समाविष्ठ ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जैसा कि वह 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व बम्बई राज्य में विद्यमान था;

(3) "**विकृतिकृत**" से किसी स्पिरिट को पेय या औषधि या किसी भी अन्य रूप में मानवीय उपभोग के अनुपयुक्त बनाने के लिए उसमें धारा 42 के अधीन विहित पदार्थ का उस धारा में ही विहित प्रक्रिया द्वारा मिश्रण अभिप्रेत है;

(3क) "**विकृतिकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति**" से विकृतिकृत स्पिरिट या मद्यसार की कोई भी निर्मिति अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसी स्पिरिट या मद्यसार से बनी लाख की पॉलिश, फ्रेंच पालिश और वार्निश भी सम्मिलित है ;

(4) "**आबकारी योग्य वस्तु**" से निम्नलिखित अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है—

(i) स्पिरिट खमीरित शराब या कोई मद्यसारिक शराब, जो मानवीय उपभोग के लिए हो या विकृतिकृत स्पिरिट या विकृतिकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति, या

(ii) कोई मादक औषधि - द्रव्य, या

(iii) भभका या आसवन के लिए अन्य साधित्र, या

(iv) खमीरित वाश या आसवन के लिए अन्य पदार्थ, या

(v) कोई अन्य वस्तु, जिसे राज्य सरकार समय- समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आबकारी योग्य वस्तु घोषित करे।

(5) "**आबकारी आयुक्त**" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आबकारी आयुक्त अभिप्रेत है,

(6) "**आबकारी शुल्क**" से राजस्थान राज्य के उन भागों में. जिन पर इस अधिनियम का प्रसार है, विनिर्मित या उत्पादित किसी आबकारी योग्य वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन या द्वारा अधिरोपित कोई आबकारी शुल्क अभिप्रेत है,

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

Scan QR

for

Landmark Judgments
(Year wise & Subject wise)

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

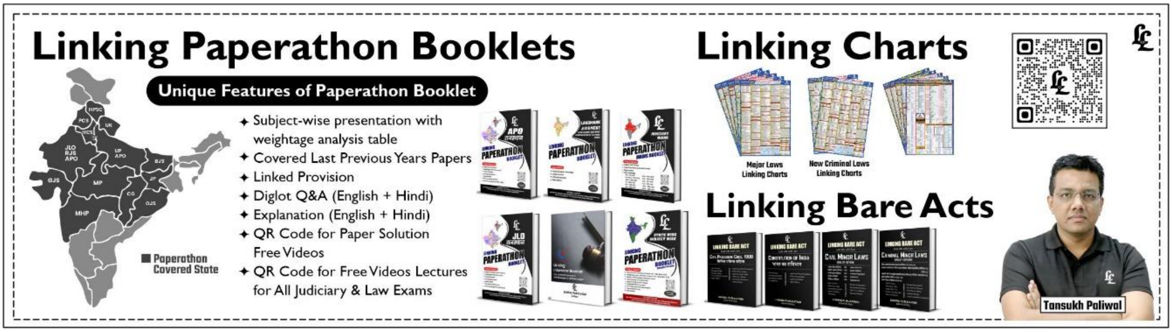

-: NOTE :-

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications